अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ

राष्ट्रीय साधारण सभा

जनसेवा विद्या केन्द्र,मगदी रोड, चेनन्हल्ली, बेंगलुरु (कर्नाटक)

प्रस्ताव

10 नवम्बर 2022

प्रस्ताव क्रमांक 1

समग्र, निष्पक्ष एवं एकात्म जनसंख्या नीति का निर्माण हो

135 करोड़ से अधिक निवासियों के साथ भारत दुनिया का दूसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है। विश्व की 17 प्रतिशत से अधिक जनसंख्या यहाँ दुनिया के मात्रा 2.4 प्रतिशत भू-भाग पर निवास करती है।

भारत की विविधतापूर्ण एवं विशाल जनसांख्यिकीय संरचना कई दूरगामी अवसरों और चुनौतियों को प्रस्तुत करती है। एक दृष्टि से अधिक जनशक्ति का होना एक एसेट या निधि है, वही दूसरी ओर हर व्यक्ति को गुणवत्तापूर्ण जीवन देने की गंभीर चुनौती भी है।

जनसंख्या का विषय ना केवल निवासियों के योगक्षेम से जुड़ा है वरन यह हमारी राष्ट्रीय पहचान और सुरक्षा से जुड़ा भी गंभीर विषय है। जनसंख्या वृद्धि समाज और राष्ट्र जीवन को व्यापक रूप से प्रभावित करती है - मातृशक्ति का स्वास्थ्य, निवासियों की आर्थिक क्षमता, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, महामारी, पोषण, स्वच्छ जल, पर्याप्त भोजन, पर्याप्त ऊर्जा संसाधन, उत्पादन, स्वच्छ पर्यावरण और मानवीय गरिमा आदि विषय जनसंख्या से सीधे जुड़े हैं।

भारत की जनसंख्या स्वाधीनता के बाद (1951 में 36.1करोड़) लगभग चार गुना बढ़ चुकी है। वर्ष 2000 में सरकार ने जनसंख्या नीति का निर्धारण करते समय कुल प्रजनन दर का लक्ष्य 2.1 प्राप्त करना रखा था। केंद्र और राज्य सरकारों के समन्वित प्रयासों तथा समाज के एक बड़े वर्ग की जागरूकता और सकारात्मक सहभागिता के कारण राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण -5 की 2022 में प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार कुल प्रजनन दर 2.0 हो गई है, पर जनसंख्या के विस्तृत आँकड़े कुछ गंभीर प्रश्न उपस्थित करते हैं -

भारत में बढ़ते शहरीकरण और पश्चिमी संस्कृति के प्रभाव के कारण समाज के एक बड़े वर्ग में न्यूक्लियर फैमिली का चलन बढ़ा है। इस तरह का आत्मकेंद्रित विचार भारत की कुटुंब व्यवस्था में कभी नहीं रहा। विभिन्न मनोवैज्ञानिक और समाज वैज्ञानिक अध्ययन दर्शाते हैं कि बहुत छोटे परिवार बच्चों के स्वस्थ एवं समग्र विकास को बाधित करते हैं तथा व्यक्तियों में असुरक्षा, सामाजिक तनाव और एकाकी जीवन जैसी अनेक चुनौतियों को प्रस्तुत करते हैं।

दूसरी ओर विभिन्न संप्रदायों की जनसंख्या वृद्धि दर में बहुत अधिक असमानता के चलते जनसंख्या असंतुलन देश की सुरक्षा, अखंडता और राष्ट्रीय पहचान पर गंभीर संकट प्रस्तुत कर सकते हैं। 75 वर्ष पूर्व देश के कुछ भागों में जनसंख्या के पांथिक असंतुलन का परिणाम विभाजन की दु:खद स्मृति के रूप में देश के इतिहास में दर्ज है। विश्व का इतिहास भी इस बात का साक्षी है की जब-जब किसी देश की जनसांख्यिकी में असंतुलन होता है तो उसे देश की भौगोलिक सीमाओं में भी परिवर्तन होता है, वर्तमान के पूर्वी तिमोर, दक्षिण सूडान, कोसोवो जैसे नए देशों का उदय जनसंख्या असंतुलन का ही परिणाम है।

भारत के विभिन्न हिस्सों में जनसंख्या असंतुलन का कारण जन्म दर में अंतर के साथ-साथ, प्रायोजित अवैध घुसपैठ, तथा लालच एवं बल के आधार पर चलने वाला मतांतरण भी है। महासंघ की साधारण सभा इस संबंध में प्रभावी मतांतरणरोधी कानून के निर्माण, घुसपैठ रोकने एवं घुसपैठियों को वापस सीमा पार भेजने की प्रभावी व्यवस्था करने की केंद्र एवं राज्य सरकारों से माँग करती है।

अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ की यह साधारण सभा सरकार से आग्रह करती है कि जनांकिकी में परिवर्तन से संबंधित इन सब तथ्यों पर गहन विचार करके एक समग्र, निष्पक्ष एवं एकात्म जनसंख्या नीति का निर्माण किया जाए जो मत, पन्थ, सम्प्रदाय, क्षेत्रादि के आग्रहों से मुक्त रहते हुए सर्वसमावेशी, आत्मनिर्भर, समर्थ, अखंड, भव्य भारत के निर्माण के ध्येय को पूर्ण करने में सहकारी हो।

समाज द्वारा नीति एवं नियमों के पालन की मानसिकता परिणामकारी परिवर्तन के लिए आवश्यक है। एतद्वारा यह साधारण सभा देशभर के अपने शिक्षक कार्यकर्ताओं से भी यह आह्वान करती है कि समाज में इस विषय मे व्यापक जन जागरण एवं प्रबोधन करते हुए जनमानस को जनसंख्या के प्रश्नों के समाधान हेतु समग्र एवं सक्रिय सहभागिता के लिए प्रेरित करें।

Proposal No. 1

Holistic, Fair and Integrated Population Policy should be formulated

Bharat is the second most populous country in the world with over 135 crore inhabitants. More than 17% of the world's population lives here on 2.4 percent of the world's land area.

India's diverse and vast demographic structure presents many far-reaching opportunities and challenges. Having more manpower from one point of view is an asset , on the other hand it is also a serious challenge for providing quality life to every individual.

The issue of population is not only related to the welfare of the citizens, but it is also a serious matter related to our national identity and security. Population growth affects society and nation life extensively – Subjects like maternal health, economic potential of residents, quality education, health, employment, epidemics, nutrition, clean water, adequate food, adequate energy resources, production, clean environment and human dignity etc. are directly related to the population.

The population of Bharat has increased almost four times since independence (36.1 crore in 1951). In the year 2000, while deciding the population policy, the target of total fertility rate was set to be 2.1. Due to the coordinated efforts of the central and state governments and the awareness and positive participation of a large section of the society, according to the report published in 2022 of the National Family Health Survey-5, the total fertility rate has become 2.0. But the detailed data of the population raise some serious questions -

Due to the increasing urbanization in Bharat and the influence of western culture, the practice of nuclear family has increased in a large section of the society. Such a self-centered idea has never existed in the family system of Bharat. Various psychological and social scientific studies show that very small families impede the healthy and holistic development of children and present many challenges like insecurities, social stress and lonely life among individuals.

On the other hand, population imbalance due to high disparity in the growth rate of population of different communities can present a serious threat to the security, integrity and national identity of the country. 75 years ago in some parts of the country, the result of religious imbalance of population is recorded in the history of the country in the form of sad memories of partition. The history of the world is also a witness to the fact that whenever there is an imbalance in the demographics of a country, it also changes the geographical boundaries of the country. The emergence of new countries like present-day East Timor, South Sudan, Kosovo is the result of population imbalance.

Population imbalance in different parts of Bharat is due to differences in birth rates as well as sponsored illegal immigration and conversion based on greed and force. The General Assembly of the ABRSM demands from the Central and State Governments to make effective anti-conversion law in this regard, to prevent infiltration and to make effective arrangements to send the infiltrators back across the border.

This general assembly of the Akhil Bharatiya Rashtriya Shaikshik Mahasangh urges the government to consider all these facts related to the change in demographics and formulate a holistic, fair and integrated population policy, which is cooperative in fulfilling the goal of building an all-inclusive, self-reliant, capable, united, glorious Bharat , while remaining free from the prejudice of faith, creed, sect, region etc.

The mindset of total observance of the policy and rules by the society is necessary for the resultant change. Hereby, this general assembly also calls upon its teacher Karykakartas from all over the country to make wide public awareness and persuasion about this subject in the society and inspire the public for comprehensive and active participation in resolving the questions of the population.

प्रस्ताव क्रमांक 2

गुणवत्ता एवं गरिमापूर्ण शिक्षा हेतु समुचित संसाधनों की व्यवस्था हो

''गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक सार्वभौमिक पहुँच प्रदान करना वैश्विक मंच पर सामाजिक न्याय और समानता, वैज्ञानिक उन्नति, राष्ट्रीय एकीकरण और सांस्कृतिक संरक्षण के संदर्भ में भारत की सतत प्रगति और आर्थिक विकास की कुंजी है'', यह राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के दस्तावेज का प्रारंभ वाक्य है।

इस परिप्रेक्ष्य में देश के शिक्षा संस्थानों विशेष रूप से राज्य वित्त से संचालित संस्थानों की स्थितियाँ बहुत निराशाजनक दृश्य उपस्थित करती है। विद्यालय शिक्षा की बात करें तो प्राथमिक से लेकर उच्च माध्यमिक तक 10,22,386हजार सरकारी विद्यालयों में से 10,20,219 हजार विद्यालय राज्य वित्त से संचालित हैं। सरकारी विद्यालयों में कार्यरत 48लाख 82 हजार अध्यापकों में से 48लाख 24 हजार अध्यापक इन विद्यालयों में पढ़ने वाले 14 करोड़ 5 लाख विद्यार्थियों में से 13 करोड़ 87 लाख विद्यार्थियों को अध्यापन कराते हैं।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुरूप गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक सार्वभौमिक पहुँच के लक्ष्य को प्राप्त करना इन शिक्षण संस्थानों की स्थिति सुधरे बिना संभव दिखाई नहीं देता। इन विद्यालयों में से अधिकांश पर्याप्त मूलभूत संसाधनों की कमी से जूझ रहे हैं। जर्जर और अपर्याप्त विद्यालय भवन; खेल के मैदान, पुस्तकालय, प्रयोगशाला, क्राफ्ट कक्ष आदि की अनुपलब्धता; स्वच्छ जल, बिजली, कार्यशील टॉयलेट, हाथ धोने की व्यवस्था आदि की बड़ी मात्रा में कमी; कंप्यूटर और इंटरनेट के बिना डिजिटल डिवाइस से जूझते अधिकांश विद्यालय एसडीजी-4 और राष्ट्रीय शिक्षा नीति के लक्ष्यों को पूरा करने में अक्षम दिखाई देते हैं।

इन विद्यालयों में शिक्षकों के पद बड़ी संख्या में रिक्त हैं। कई राज्यों में लंबे समय से स्थाई नियुक्तियाँ नहीं हुई है, इसके स्थान पर पिछले वर्षों में तदर्थ व्यवस्था को लगातार बढ़ावा दिया गया है। बड़ी संख्या में विद्यालय एक या दो शिक्षकों के भरोसे चल रहे हैं शिक्षकों पर गैर शैक्षणिक कार्यों का अत्यधिक भार है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा किए गए एक अध्ययन के अनुसार, शिक्षक अपना लगभग 19 प्रतिशत समय ही शिक्षण के लिए समर्पित कर पाते हैं जबकि शेष समय गैर-शिक्षण प्रशासनिक कार्यों में व्यतीत हो जाता है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के व्यावसायिक एवं कौशल शिक्षा, बहुविषयक शिक्षा एवं पूर्व बाल्यावस्था शिक्षा जैसे प्रावधानों को भी कई राज्यों में बिना समुचित दक्ष मानवीय संसाधनों और भौतिक संसाधनों की व्यवस्था के लागू करने के प्रयास हुए हैं। ऐसी स्थिति में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की निरंतर एवं सार्वभौमिक उपलब्धता एक स्वप्न ही नजर आता है।

उच्च शिक्षा में भी कमोबेश ऐसी ही स्थिति नजर आती है। राज्य वित्त पोषित विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय आधारभूत सुविधाओं और पर्याप्त मानवीय संसाधनों के अभाव में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने के मामले में देश-विदेश में निरंतर नीचे जा रहे हैं। एनआईआरएफ और नैक में अधिकांश राज्य वित्त पोषित संस्थानों के बहुत कमजोर प्रदर्शन का एक बड़ा कारण शिक्षा के वित्तीय पोषण से सरकारों की बढ़ती हुई उदासीनता है। 2001 के बाद से उच्च शिक्षा संस्थाओं में लगभग 4 गुना वृद्धि हुई है लेकिन अधिकांश निजी क्षेत्र में। देश के 42343 महाविद्यालय में से 78प्रतिशत तथा 1043 विश्वविद्यालय में से 41 प्रतिशत से अधिक निजी हाथों में होना राजकीय उत्तरदायित्व पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है।

अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ की इस साधारण सभा का यह सर्वसम्मत मत है कि शैक्षिक क्षेत्र में पर्याप्त निवेश जनशक्ति की दक्षता और उत्पादकता बढ़ाने हेतु बहुत आवश्यक है। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त सुशिक्षित जन ही देश के समग्र आर्थिक विकास का आधार है। महासंघ की यह साधारण सभा केंद्र सरकार एवं सभी राज्य सरकारों से अपील करती है कि वे इन शिक्षा संस्थानों की खराब स्थिति पर अविलंब संज्ञान लें तथा पर्याप्त स्थायी मानवीय एवं भौतिक संसाधनों उपलब्ध कराते हुए शैक्षणिक गरिमा एवं गुणवत्ता हेतु अपना लोक कल्याणकारी योगदान सुनिश्चित करें।

Proposal No. 2

Adequate resources should be arranged for quality and dignified education.

"Providing universal access to quality education is the key to Bharat's continued ascent, and leadership on the global stage in terms of economic growth,social justice and equality, scientific advancement, national integration, and cultural preservation", is the opening sentence of the National Education Policy 2020 document.

In this context, the condition of the educational institutions of the country, especially the institutions run by the state finances, presents a very sad view. In school education, out of 10,22,386 government schools from primary to higher secondary, 10,20,219 schools are run by state finance. Out of 48 lakh 82 thousand teachers working in government schools, 48 lakh 24 thousand teachers teach 13 crore 87 lakh students out of 14 crore 05 lakh students studying in these schools.

Achieving the goal of universal access to quality education as per the National Policy on Education is not possible without improving the condition of these educational institutions. Most of these schools are suffering from lack of adequate basic resources. dilapidated and inadequate school building; non-availability of playground, library, laboratory, craft room etc.; shortage of clean water, electricity, working toilets, hand washing facilities, etc.; grappling with the digital divide without computers and the Internet, most schools appear incapable of meeting the goals of SDG-4 and the National Education Policy.

A large number of posts of teachers are lying vacant in these schools. In many states, there have been no permanent appointments for a long time, instead ad-hoc arrangements have been promoted continuously over the years. A large number of schools are running on the basis of one or two teachers and teachers are heavily burdened with non-academic work. According to a study conducted by the National Institute of Education Planning and Administration, teachers are able to devote only about 19% of their time to teaching while the remaining time is spent in non-teaching administrative tasks. Efforts have also been made to implement the provisions of the National Education Policy like Vocational and Skill Education, Multidisciplinary Education and Early Childhood Education in many states without proper arrangements of efficient human and material resources. In such a situation, continuous and universal availability of quality education seems a dream.

More or less the same situation is seen in higher education also. In terms of providing quality education, the position of state funded universities and colleges is continuously deteriorating in the absence of basic facilities and adequate human resources. A major reason for the very poor performance of most of the state funded institutions in NIRF and NAAC is the growing apathy of the governments in funding education. Since 2001, there has been an almost 4-fold increase in the institutions of higher education but mostly in the private sector. More than 78% out of 42343 colleges in the country and 41% out of 1043 universities in private hands raise a question mark on state responsibility.

This General Assembly of the Akhil Bharatiya Rashtriya Shaikshik Mahasangh is of the unanimous opinion that adequate investment in the educational sector is essential for increasing the efficiency and productivity of manpower. Well educated people with quality education is the basis of overall economic development of the country. This General Assembly of the ABRSM appeals to the Central Government and all the State Governments to take immediate cognizance of the poor condition of these educational institutions and ensure their public welfare role for educational dignity and quality by providing adequate permanent human and material resources.

प्रस्ताव क्रमांक 3

शिक्षा एवं शिक्षकों की समस्याओं का निराकरण अविलंब किया जाए

शिक्षा एवं शिक्षकों की कई समस्याएँ शासन की उपेक्षा और अनिर्णय के कारण काफी समय से लंबित पड़ी है। अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ की यह साधारण सभा सरकार से माँग करती है कि संवेदनशील रुख दिखाते हुए समस्याओं का समाधान अविलंब किया जाए।

1. संपूर्ण देश में सभी स्तरों पर शिक्षकों के रिक्त पदों पर स्थाई और नियमित नियुक्ति सुनिश्चित की जाए तथा तदर्थवाद बंद किया जाए।
2. सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को संपूर्ण देश में एक समान रूप से लागू किया जाए तथा इसकी विसंगतियों को दूर किया जाए।
3. 1 जनवरी 2004 से पूर्व की पेंशन योजना सभी शिक्षकों के लिए बहाल की जाए।
4. संपूर्ण देश में शिक्षकों की सेवानिवृत्ति आयु एक समान 65 वर्ष की जाए।
5. सभी स्तरों पर शिक्षकों के प्रशिक्षण की सुदृढ़ एवं नियमित व्यवस्था की जाए।
6. उच्च शिक्षा के शिक्षकों को समयबद्ध करियर एडवांसमेंट योजना का लाभ देना सुनिश्चित किया जाए।
7. सेवारत शिक्षकों को पीएचडी कोर्स वर्क से मुक्त किया जाए अथवा कोर्स वर्क हेतु सवैतनिक अवकाश/ऑनलाइन व्यवस्था हो।
8. अनुदानित शिक्षण संस्थाओं के भुगतान की कोषागार व्यवस्था सुनिश्चित की जाए।
9. स्कूल एवं उच्च शिक्षा के समस्त शिक्षकों को समुचित चिकित्सा सुविधा के लिए निशुल्क स्वास्थ्य कार्ड जारी कर प्रभावी क्रियान्वयन किया जाए।
10. यूजीसी रेगुलेशन 2018को संपूर्ण देश में एक समान रूप से लागू किया जाए तथा विसंगति निवारण समिति की रिपोर्ट को सार्वजनिक करते हुए रेगुलेशन की विसंगतियों को दूर किया जाए।
11. पुस्तकालयाध्यक्ष, शारीरिक शिक्षक और अन्य समान सेवाओं की शिक्षकों के साथ समकक्षता स्थापित हो।
12. शिक्षकों से केवल शैक्षिक कार्य ही करवाए जाएँ। मिड-डे-मील योजना के प्रबंधन व क्रियान्वयन से शिक्षकों को मुक्त रखा जाए।
13. राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को संपूर्ण देश में एक समान रूप से लागू किया जाए।
14. केंद्र सरकार अपने बजट का 10 प्रतिशत तथा राज्य सरकार 30 प्रतिशत शिक्षा पर व्यय सुनिश्चित करें ताकि पर्याप्त संख्या में शिक्षक एवं अन्य आधारभूत सुविधाएँ पुस्तकें, भवन, खेल के मैदान आदि उपलब्ध हो सके।
15. संपूर्ण देश में शिक्षा की स्वायत्तता को बहाल किया जाए। शिक्षा संबंधी सभी निर्णयों में शिक्षकों की सहभागिता सुनिश्चित की जाए तथा राजनीतिक और प्रशासनिक हस्तक्षेप बंद हो।
16. नि:शुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा के अधिकार के प्रावधानों को सुसंगत एवं व्यावहारिक बनाया जाए तथा उनकी पालना सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक संसाधन एवं सुविधाएँ प्रदान की जाए।
17. शिक्षा के बाजारीकरण पर नियंत्रण सुनिश्चित हो।
18. महाविद्यालय प्राचार्य का सेवाकाल 5 वर्ष तक ही सीमित न रखकर इसे सेवानिवृत्ति तक विस्तारित किया जाए।
19. सभी शिक्षण संस्थाओं में उचित शिक्षक शिक्षार्थी अनुपात सुनिश्चित किया जाए। प्राथमिक विद्यालयों में जितनी कक्षा उतने न्यूनतम शिक्षक तथा इससे ऊपर की शिक्षा देने वाले विद्यालयों में न्यूनतम प्रत्येक विषय में शिक्षक लगाए जाएँ। उच्च शिक्षा में शिक्षक शिक्षार्थी अनुपात के संबंध में यूजीसी के मानदंडों को लागू किया जाए।
20. स्ववित्त पोषित शिक्षा संस्थानों के शिक्षकों की सुरक्षा हेतु नियुक्ति, वेतन और सेवा शर्तें के समुचित नियमन की प्रभावी व्यवस्था की जाए।
21. प्राथमिक शिक्षकों को विधान परिषदों में मत देने का अधिकार दिया जाए।

Proposal No. 3

The problems of education and teachers should be resolved immediately.

Many problems of education and teachers have been pending for a long time due to the neglect and indecision of the government. This general body of the Akhil Bhartiya Rashtriya Shaikshik Mahasangh demands from the government that the problems should be resolved without any delay by showing a sensitive attitude.

1. Permanent and regular appointment of teachers should be ensured at all levels all over the country and adhocism should be stopped.
2. The recommendations of the Seventh Pay Commission should be implemented uniformly throughout the country and its anomalies should be removed.
3. The pension scheme before 1 January 2004 should be restored for all teachers.
4. The retirement age of teachers should be uniformly 65 years across the country.
5. Systematic and regular arrangements should be made for the training of teachers at all levels.
6. Time bound benefits of career advancement scheme to the teachers of higher education should be ensured.
7. Serving teachers should be exempted from PhD course work or there should be paid leave / online arrangement for course work.
8. The treasury system for payment of aided educational institutions should be ensured.
9. The teachers of schools and higher education be provided free Health Care facility for their proper medical treatment and its proper implementation be ensured.
10. UGC Regulation 2018 should be implemented uniformly throughout the country and anomalies in the regulation should be removed by making the report of the Anomaly Redressal Committee public.
11. Parity of librarians, physical teachers and such other equal services be maintained with the teachers.
12. Only educational work should be done by teachers. Teachers should be kept free from the management and implementation of the Mid Day Meal Scheme.
13. National Education Policy 2020 should be implemented uniformly across the country.
14. The Central Government and the State Governments should ensure that 10% and 30% of their budget respectively is spent on education so that an adequate number of teachers and other basic facilities like books, buildings, playgrounds etc. can be made available.
15. The autonomy of education should be restored throughout the country. The participation of teachers should be ensured in all decisions related to education and political and administrative interference should be stopped.
16. The provisions of the Right to Free and Compulsory Education should be made consistent and practical and necessary resources and facilities should be provided to ensure their compliance.
17. Ensure control over the commercialization of education.
18. The tenure of the college principal should not be limited to 5 years and should be extended till retirement.
19. Proper teacher student ratio should be ensured in all educational institutions. minimum one teacher for each class in primary schools and minimum one teacher for each subject in schools teaching above primary. UGC norms regarding teacher student ratio in higher education should be implemented.
20. Effective arrangements should be made for proper regulation of appointment, salary and service conditions for the safety of teachers of self-financing educational institutions.
21. Primary teachers should be given the right to vote in the Legislative Councils.